

दृश्य या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज  
 पु.नं. - 215/2010

जम्बर या तारीख  
 अहकाम जो इस  
 दृश्य की तालीम  
 में जारी हुए

इकजाई तारीख पेशी देने पर आज  
 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिक्तेन  
 उपस्थित/पीठा. अधिकारी दारे/अन्य  
 कार्य में व्यस्त/मोटिंग में है। पत्रावली पूर्व  
 आदेशानुसार दिनांक. 22-11-18 को  
 पेश हो।

*Staj*

पत्रावली उपस्थित/पीठा. अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक. 8-2-18 को पेश हो।

*Staj*

पत्रावली उपस्थित/पीठा. अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-4-18 को पेश हो।

*Staj*

इकजाई तारीख पेशी देने पर आज  
 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिक्तेन  
 उपस्थित/पीठा. अधिकारी दारे/अन्य  
 कार्य में व्यस्त/मोटिंग में है। पत्रावली पूर्व  
 आदेशानुसार दिनांक. 28-6-18 को  
 पेश हो।

*Staj*

राजस्व लोक अदालत अभियान  
 न्याय आपके द्वार वर्ष-2018  
 विमान सयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (गुप-1) विभाग जयपुर, जो  
 पत्रांक प.12 (15) राज-1/2018 दिनांक 28-6-18 को पणलना एवं  
 श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीमान प्रदत्त अटल नेटरो को  
 पत्रावली पूर्व दिनांक 28-6-18 से तजब हाक  
 आज पेश हुई। उक्त दिनांक 28-6-18 में पत्रावली लोक अदालत  
 में सुनवाई हेतु रखी जनी है। उक्त लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल-  
 अटल सेवा केन्द्र ~~जयपुर~~ दिनांक 13-6-18  
 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित  
 हेतु सम्बन्धित पक्षकारण का निर्दिष्ट नही है।

6-

6.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार  
 अभियान- 2018 के तहत आयोजित राजस्व  
 लोक अदालत के कैम्प-कल्याणपुरा के अटल  
 सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकार  
 उपस्थित। प्रतिवादीगण न. 1 की ओर से  
 कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण  
 निगम लिमिटेड श्रीमाधोपुर उपस्थित आये।  
 कनिष्ठ अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. श्रीमाधोपुर

कोसरी देवी w/o तिराराम  
 जज जज के न्याय  
 Ag Connection दिनांक  
 24/1/11 को SCO NO.  
 75/10317 के द्वारा  
 18.1.11  
 जारी हो चुका है।  
 13/6/18  
 JENRANUL  
 SMPR

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हु. नं. - 215/2010

ने अवगत कराया कि प्रतिवादी न. 2 कोयली देवी पत्नि सीताराम जाति जाट के नाम से कृषि कनेक्शन दिनांक 24.1.2011 को 75/10317 दिनांक 18.1.2011 के द्वारा विधुत कनेक्शन जारी किया जा चुका है।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा दावा बाबत घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वादीगण द्वारा किया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 कोयली देवी पत्नि सीताराम के हक में विधुत कनेक्शन जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प-कल्याणपुरा के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

७५-

(ब्रह्म लाल जाट)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-कल्याणपुरा